पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता अनुपस्थित।

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि गांव करणीनगर (भंवरीसर) नेगरडा के खसरा नम्बर 144 रकबा 706.08 बीघा सरकारी गैर मुमकिन मगरा आया हुआ है। उक्त जमीन पर 31 बीघा पर वादीगण का काश्त कब्जा है तथा ढाणी वगैरा बनी हुई है। 91 आर.एल.आर. एक्ट. के तहत कार्यवाही होती आ रही है। उक्त जमीन पर विगत 40 साल से भी पुराना काश्त कब्जा है। मौजा नेगरडा तह0 शिव जिला बाडमेर के उक्त खसर नम्बर पर अतिक्रमण करने की वजह से हलीम खां को 1994 में तीन माह की सिविल कारावास की सजा तहसीलदार शिव द्वारा सुनाई गई। जिस आदेश के विरूद्व प्रथम अपील माननीय जिला कलक्टर बाडमेर के यहां पेश की गई जिसे निरस्त कर दी गई।

वादीगण की ओर से ब जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री तमाची खां The Powers-of Attorney Act 1882 न्यायिक दृष्टांत पेश कर बताया कि A power of attorney is an authority given by a formal instrument whereby one person, who is called the donor of principal, authorizes another person who is called the done, attorney or agent, to act on his behalf. " Power-of Attorney" includes Vakalatnama.- Ramdeo Tilokchand Agarwal v. Lalu Natha, AIR 1937 Nag 65: ILR 1937 Nag 491.

Order 3 Rule 2, CPC refers to the class of persons Who Could be treated as recognized agents of parties by whom such appearances applications and acts may be made or done and includes persons holding power of attorney. It is, therefore Clear the provisions of Order 3 Rule 1 which permit appearance, application or acting is any Court are subject to any other law and this includes the provisions of the Advocates Act, 1961 and in particular, Sections 32 and 33 of the Advocates Act. It is Further Clear that so for as the signing or verifying or doing other acts are concerned, these could be done by the Power of attorney duly authorized, therefore, but so far as appearing in court is concerned, they are subject to the provision of section 32 of the Advocates Act. The right to appear in Court and plead for a principal as also the right to practice in courts have to be distinguished from the other acts, which a power-of attorney can perform under Order 3 Rule 1, CPC. So far as the right to appear and plead for a principal Court as also the right to practice are concerned, these are governed by Sections 32 and 33 of the Advocate Act. Hari Om Rajender kumar v. Chief rationing Officer of Civil Supplies, A.P, AIR 1990 AP 340 at 344.

प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 56 का हवाला देकर बतया की धारा 56 निम्न प्रकार है :–

धारा 56 : उपस्थितयॉ एवं प्रार्थना–पत्र आदि किसके द्वारा प्रस्तुत किये जाएँगे– इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा तत्समय प्रभावशील किसी अन्य विधि (Law) के अन्तर्गत किसी राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी के समक्ष समस्त उपस्थितियों, प्रार्थना– पत्र प्रस्तुतीकरण एवं किये जाने वाले कार्य :–

(1) स्वय पक्षकारों द्वारा

(2) उनके प्रस्वीकृत अभिकर्तागण द्वारा अथवा

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

(3) पक्षकारों द्वारा उचित रूप से प्राधिकृत एवं ऐसे न्यायालय अथवा अधिकारी के समक्ष वकालत करने मे सक्षम वकीलों द्वारा किये जाएँगे :

परन्तु राजस्व न्यायालय अथवा अधिकारी किसी कार्यवाही में किसी पक्षकार द्वारा अभिकर्ता अथवा वकील की नियुक्ति होते हुए भी किसी पक्षकार की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है।

हमने श्री तमाची खां (वादीगण 1 से 7 की तरफ से ब जरिये पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर) के द्वारा प्रस्तुत वाद का अध्यन किया उसका कहना है की पॉवर ऑफ एटोर्नी उन्हे वादीगण संख्या 1 से 07 ने दी है और ये उन्हे किसी भी न्यायालय जिसमें राजस्व न्यायालय भी सामील है के समक्ष प्रार्थी की तरफ से वकालत करने की भी शक्तियां देता है

श्री तमाची खां द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Hari Om Rajendar kumar v. Chief rationing Officer Of Civil Supplies में स्पष्ट तौर पर लिखा है की पॉवर ऑफ एटोर्नी किसी व्यक्ति की तरफ से दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने और उन्हे न्यायालय में या किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने भर का अधिकार देता है और आगे लिखा है कि न्यायालय में किसी की तरफ से वकालत करना एवं किसी प्रार्थी का पक्ष रखना अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत आता है। श्री तामाची द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उन्ही के विरूद्व जा रहे है।

इस सन्दर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Goa Antibiotics v.s. R.K Chawla and Another में पारित निर्णय (दिनांक 04.07.2011) मे भी स्पष्ट इस बात का वर्णन है कि पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर सामान्य काम जैसे की sale deed पर हस्ताक्षर करना, agreement पर हस्ताक्षर करना ओर ऐसे अन्य काम कर सकता है। परन्तु वकालत करने का अधिकार केवल पंजीकृत अधिवक्ता को है और जब तक न्यायालय धारा 32 अधिवकता अधिनियम के तहत किसी को अनुमति नही देता की वह अधिवक्ता ना होते हुए भी किसी प्रार्थी की तरफ से वकालत करे तब तक सिर्फ पॉवर ऑफ एर्टोनी के आधार पर वह व्यक्ति वकालत नही कर सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संबंधित पैरा निम्न अनुसार है :–

" There is a distinction between the right to appear on behalf of someone, which is only given to enrolled lawyers, and the discretion in the court to permit a non- lawyer before it. Under Sections 29 and 33 of the Act only those persons have a right to appear and argue before the court who are enrolled as an advocate while under Section 32 of the Act, a power is the court to permit in a particular case, a person other than an advocate to appear before it and argue the case. A power of attorney holder cannot, unless he is an enrolled lawyer, appear in Court on behalf of anyone, unless permitted by the Court under Section 32 of the Act, though of Course he may sign sale deeds, agreements etc and do other acts on behalf of someone else, unless prohibited by Accordingly, the matter is adjourned by four weeks to enable the petitioner to engage a lawyer to appear and argue on its behalf"

श्री तमाची खां को धारा 32 अधिवक्ता अधिनियम के तहत वादीगण की तरफ से उपस्थित होने की अनुमति नही दी जाति है। अतः वादीगण 15.10.2019 को स्वयं उपस्थित हो या पंजीकृत अधिवक्ता की सेवा लेकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो

सहायक कलेक्टर
(SDO) शि

Scanned by CamScanner

के समक्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
15/10/19	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। आज अदालत समय में रूक–रूक कर तीन बार आवाजें दिलवाये जानें के बावजूद वाद एवं उनके अधिवक्ता मे से किसी के उपस्थित नहीं होने पर वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत अदम हाजरी एव अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड़ अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:48:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: